



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

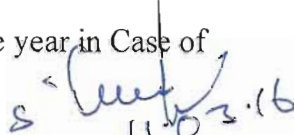
(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :-	18022015003	Block/Sector	-----/N/A
Plot/House	KHASRA NO-481,490TO- 493,495TO499,514TO- 516/-----	Scheme	-----
Permit Date	08-03-2016	Application Date	18-02-2015
Permit No.	993/BHAWAN/15-16		
Area(Place)	BARA SAROHI		
Land Usage	Commercial		
Applicant's Name	ELDECO TOWNSHIPS AND HOUSING LTD		
Present Address	F.F VIRENDRA SMRITI COMPLEX 15/54-B CIVIL LINES KANPUR		

Sanction vide order dated : **10-02-2016** V.C build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


Authorised Signatory
स्वराज गार्गुली
मुख्य नगर नियोजक

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा कि शर्तें :-

- 1 यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू / गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधिक कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 2 यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक वव्हयार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
- 3 किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में चाहे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे में दर्ज दिए गए की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृती अनिवार्य है।
- 4 अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
- 5 यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विधुत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिए जाये।
- 6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ववस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी। पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार 4 ब्रक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
- 7 निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
- 8 दिये गये शपथ पत्र के क्रम में भविष्य में विकास शुल्क के मद में कोई देयता बनती है तो देय होगी।
- 9 उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 -ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवयशक होगा।
- 10 भू -स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- 11 मानचित्र की स्वीकृति ~~प्राप्त~~ हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 12 किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Authorised Signatory

स्वराज गांगुली
मुख्य नगर नियोजक



क्षेत्रीय कार्यालय : उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ

1516/Moc-47/16

दिनांक

20/8/16

सेवा में,

मै० एल्लिको टाउनशिप एवं हाउसिंग लि०,
सेक्टर-९, जवाहरपुरम योजना,
ग्राम-बारासुरोही, मकसूदाबाद, न्यू शिवली रोड,
कानपुर नगर।

विषय-सेक्टर-९, जवाहरपुरम योजना, ग्राम-बारासुरोही, मकसूदाबाद, न्यू शिवली रोड, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक ईटीएच/केएनपी/पीसी-०१/३०३० दिनांक ०२.०८.१६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त परियोजना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक ९७४/एन०ओ०सी०-४७/१२ दिनांक ३०.०७.१२ द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक ३१.१२.१५ तक थी। आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त एवं परियोजना स्थल का दिनांक २०.०८.१६ को किये गये निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि ३१.१२.१८ (तीन वर्ष) तक बढ़ायी जाती है एवं पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी तथा शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। वैधता समयावधि में शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

भवदीय


(डॉ० मा० सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- १ मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एफ-७४०३३७/सी-२/सा-४९० विविध/१६ दिनांक १९.०२.१६ के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- २ मुख्य वास्तुविद नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, (भवन विभाग), कानपुर नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ५२४३, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर नगर - २०८ ०१७

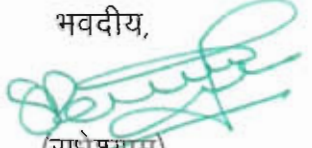
फोन : २५१०९९९

फैक्स : ०५१२-२५१०९९९

11. प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा चालित प्रकाश की व्यवस्था किया जाये, जिससे कि आपातकाल स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
12. प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास एकास्टिक व्यवस्था इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिसर के अन्दर एवं बाहर ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप रहे।
13. प्रस्तावित परियोजना हेतु अग्निशमन तथा नागरिक सुरक्षा के समस्त मापदण्डों का अनुपालन किया जाये तथा अग्निशमन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अग्निशमन उपकरणों एवं जल भण्डारण की व्यवस्था किया जाये।
14. प्रस्तावित परियोजना से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था स्थापित कर इसका निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली-2000, के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
15. प्रस्तावित परियोजना में समुचित लाइटिंग एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे कि सामान्य यातायात प्रभावित न हो।
16. प्रस्तावित परियोजना/क्रिया कलापो का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन करने से पूर्व बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
17. अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा परियोजना के संचालन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाये।
18. उपरोक्त शर्तें, अन्य विभागीय स्वीकृतियों एवं शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।

यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 31.12.2015 तक विधिमान्य होगा। उक्त शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय,



(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0

तद् दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. कार्यालय भवन विभाग, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।



क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

5243, सदभावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर-208017

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE

5243, Sadbhawana Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208017

संदर्भ सं०: 974/एनओसी-47/12

दिनांक: 30/7/12

सेवा में,

मैसर्स एल्टिको टाउन शिप्स एण्ड हाउसिंग लि०,
सेक्टर-14, जवाहर पुरम योजना,
ग्राम-बारासुरोही, मकसूदाबाद, न्यू शिवली रोड,
कानपुर नगर।

विषय:- पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सेक्टर-14, जवाहर पुरम योजना, ग्राम-बारासुरोही, मकसूदाबाद, न्यू शिवली रोड, कानपुर नगर पर प्रस्तावित टाउनशिप्स/आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 20.07.12, को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र पर इस कार्यालय द्वारा विचार किया गया। आवेदन पत्र के परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित टाउनशिप्स/आवासीय भवन के निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है:-

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए निर्गत किया जा रहा है:-

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| (क) परियोजना का नाम एवं पता | - | मैसर्स एल्टिको टाउन शिप्स एण्ड हाउसिंग लि०,
सेक्टर-14, जवाहर पुरम योजना,
ग्राम-बारासुरोही, मकसूदाबाद, न्यू शिवली रोड,
कानपुर नगर। |
| (ख) कुल घरेलू उत्प्रेषण की मात्रा | - | 633 किली०/दिन |
| (ग) प्रस्तावित डी०जी०सेट की क्षमता | - | 1850 के०वी०ए०(एक नग) |
| (घ.) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा | - | एच०एस०डीजल (डी०जी०सेट्स हेतु)
आवश्यकतानुसार। |

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14/09/06 (यथा संशोधित) एवं उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 872/55- पर्या-2008-118(पर्या) 2008 दिनांक 21 अप्रैल 2008 के प्राविधानों, कानपुर महायोजना-2021 तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल विकास/भवन निर्माण हेतु निर्मित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाये।
- बिल्ड अप एरिया का क्षेत्रफल कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रस्तावित परियोजना में घरेलू उपयोग हेतु प्रस्तावानुसार 791 किली/दिन से अधिक जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- घरेलू बहिस्राव जिसकी मात्रा 633 किली०/दिन से अधिक न होगी, को निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्तावनानुसार सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से शुद्धिकृत करके यथासम्भव शुद्धिकृत जल का प्रयोग गार्डनिंग इत्यादि में किया जाये।
- उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त प्रतिष्ठान में अन्य किसी प्रकार के ईंधन/खतरनाक रसायन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित 1850 के०वी०ए० क्षमता के डी० जी० सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई नियमानुसार भवन छत से 0.2√KVA मी० ऊपर रखी जाये तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित क्षमता के कैनोपी/एकस्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना किया जाये।
- प्रस्तावित योजना के चारों तरफ पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में अनिवार्य रूप से हरित पट्टिका/वृक्षारोपण का विकास किया जाये।
- प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े तथा कोई भी क्रिया-कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
- भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिए भूगर्भ जल निदेशालय उ०प्र० सरकार द्वारा भवन छत के क्षेत्रफल के अनुसार जारी गाइड लाइन के अनुरूप रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाये।

कमशः.....



कानपुर विकास प्राधिकरण

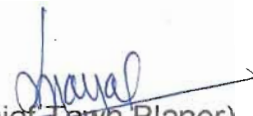
E-mail : response@kdaindia.org • Website : kdaindia.org
No. D/38/मु.न.मि.0/का.वि.प्रा.07-08
Dt. 30.05.2007

NO OBJECTION CERTIFICATE

M/s Eldeco Townships & Housing Ltd., 15/54-B, Virendra Smriti Complex, Kanpur has been allotted land in Sector 14 (old)/8 Jawaharpuram in KDA's Jawaharpuram scheme for development and construction of houses. They have been allowed to allot houses and plots in these sectors. Possession of land to the allottees of said builder shall be given, after execution of lease deed between KDA & the Builder's allottees, on completion of plot development/house construction.

The said land is free from all encumbrances and Kanpur Development Authority has no objection to land, houses/plots (when construction/developed) being mortgaged in favour of any financing agency for the purpose of raising project finance and / or housing finance.

M/s Eldeco Townships and Housing Limited, are permitted to issue no objection certificate to their allottees on the authority of this certificate.


(Chief Town Planner)

Kanpur Development Authority